

**Fax/Speed Post
Mail**

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी,
लखीसराय, दरभंगा, जमुई, सुपौल, अररिया,
मुंगेर एवं राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान बोधगया।

पटना, दिनांक :

विषय :- मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व -उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 -
सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का
पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु
आपके अधीनस्थ कार्यालय को उपर्युक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार कुल
2,36,60,857/= (दो करोड़ छत्तीस लाख साठ हजार आठ सौ सन्तावन) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत
किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश
संख्या 1184 दिनांक 03.07.2015 एवं राज्यादेश संख्या 688 दिनांक 19.05.2017 के
आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु
शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/मॉग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 -
2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में
लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. यह आवंटन आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय होने वाली वेतनादि मद एवं अन्य मद
के लिए निर्गत किया जाता है।
6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं
त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय
पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से
नियंत्रण रखा जा सकें।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये
तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की
जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी
होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र
निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी
की जिम्मेवारी होगी।

10. इसकी सूचना महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

निबंधित

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय, दरभंगा, जमुई, सुपौल, अररिया, मुंगेर एवं राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान बोधगया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016.12/21/17

पटना, दिनांक 17/12/17

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी०पी०एम०यू० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक


भू-अभिलेख एवं परिमाण

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उपमुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उपशीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन :-

क्र०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01 01	01 03	01 04	01 05	01 06	01 07	02 01	11 01	13 01	13 03	13 04	13 06	13 10	14 01	28 02	कुल योग
		वेतन	जीवन यापन भता	मकान किराया भता	परिवहन भता	चिकित्सा भता	अन्य भता	मजदूरी	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दुरभाष	विद्युत प्रभार	वर्दी/पोशाक	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	किराया महसूल एवं कर	सविदा सेवाएँ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	लखीसराय	250000	200000	2000000	2450000
2	दरभंगा	1500	50000	10000	5000	...	18825	...	85325
3	जमुई	600000	700000	10000	...	5000	5000	300000	1620000
4	सुपौल	4000000	160000	240000	...	20000	100000	150000	30000	...	30000	200000	4930000
5	अररिया	3448984	115176	58388	8400	13200	5520	...	40000	20000	...	30000	3739668
6	मुंगेर	6732000	538560	538560	30400	...	2880	...	100000	200000	12000	187000	8341400
7	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान बोधगया	415440	529000	41544	...	5800	2680	1500000	2494464
कुल योग		15196424	2042736	888492	38800	44000	12580	300000	440000	375000	42000	40000	35000	187000	18825	4000000	23660857

(दो करोड़ छत्तीस लाख साठ हजार आठ सौ अन्तावन रुपये मात्र)



(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना